न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर,कानपुर देहात
उपस्थितः— श्री देवेन्द्र कुमार, द्वितीय (पी सी एस (जे)
फौजदारी वाद संख्या— 1070/2008
सरकार बनाम अमर सिह।
धारा— 323,325,354,504,506 भा द सं
थाना राजपुर, कानपुर देहात।
मु0अप0सं0 42/2008

निर्णय

अभियुक्त अमर सिह के विरूद्ध थाना राजपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध स. 42/2008 अंतर्गत धारा 323,325,354,504,506 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र परीक्षण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 14.4.2008 को समय करीब 2.00 बजे दिन मे मेरी पत्नी श्रीमती कान्ती देवी शौच किया के लिये जा रही थी। जो गांव के वाहर मेरे ही गांव का अमर सिह पुत्र स्व0 तुलसीराम सिह मिला तथा बुरी नियत से मेरी पत्नी का हाथ पकडकर खीचने लगा तो मेरी पत्नी चिल्लायी तो आवाज सुनकर मेरी पत्नी की बहन रंजना देवी मौके पर पहुच गई तो दोनो को धारदार हथियार से अत्यधिक मारा पीटा तथा गाली गलौज किया जिससे मेरी पत्नी का वाया पैर मौरवा के उ्पर टूट गया एवं दोनो हाथो में अत्यधिक चोटे आई है एवं मेरी पत्नी की बहन रंजना देवी के पूरे शरीर मे चोटे आई है।जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।

घटना की सूचना थाने पर दी जिस पर थाना हाजा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 42/2008 अंतर्गत धारा 323,325,354,,504,506 भा द सं पंजीकृत किया गया तथा वाद विवेचना, विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त अमर सिह के विरूद्ध आरोप मुकदमा अपराध संख्या 42/2008 अंतर्गत धारा 323,325,354,504,506, भा0द0सं0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित आया तथा अपनी जमानत कराई तथा अभियुक्त को धारा 207 द प्र सं के अनुपालन मे अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी।

अभियुक्त अमर सिह के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त अपराध से इकार किया तथा विचारण चाहा।

अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0ड01 श्रीमती रंजना देवी पी0ड02 रामबाबू एवं पी0ड03 श्रीमती कान्ती देवी परीक्षित हुई ।

अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नही हुए। इसी दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रो की सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द प्र सं अंकित किया जिसमे गवाहान द्वारा गवाहन द्वारा गलत बयान देना बतलाया तथा सफाई साक्ष्य से इंकार किया।

मैने उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0ड01 रंजना देवी ने अपनी मुमख्य परीक्षा मे घटना का समर्थन किया तथा जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि आज से लगभग 9 वर्ष पहले मेरे सामने मेरी बहन कान्ती देवी को अमर सिह ने बुरी नियत से हाथ पकड कर नही खीचा था न ही धारदार हथियार से मारा पीटा था न

ही गाली गलौज की थी। न ही मारपीट मे मेरे सामने मेरी बहन कान्ती देवी का पैर टूटा था न ही जान से मारने की धमकी दी थी। न ही पुलिस ने इस सम्बन्ध में कोई बयान लिया था। मैने जो बयान पूर्व मे दिया था। वह लोगो के कहने से दिया था। मेरे सामने मेरी बहन कान्ती देवी के साथ अमर सिह ने कुछ नही किया था। जो मेरे चोटे आयी थी वह गिरने से आयी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी जिरह मे ऐसी कोई बात नही कही जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि हो सके।

इसी कम मे अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0ड02 रामबाबू परीक्षित हुए हैं उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि आज से लगभग 9 वर्ष पहले मेरी पत्नी कान्ती देवी को अमर सिह ने बुरी नियत से हाथ पकड कर मेरे सामने खीचा नही था न ही गाली गलौज की थी व मारपीट नही की थी न ही इनकी मारपीट मे मेरी पत्नी का पैर टूटा था न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मैने जो तहरीर लिखी थी वह बताने के अनुसार लिखी थी। जो संलग्न पत्रावली है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया हैं । इस स्तर पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

दौरान जिरह उक्त गवाह को धारा 161 सी आर पी सी का बयान पढकर सुनाया व समझाया गया। गवाह ने इंकार किया और कहा कैसे लिख लिया मै इसकी बजह नही बता सकता। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी जिरह मे ऐसी कोई बात नही कही जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि हो सकें।

इसी कम मे अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0ड03 श्रीमती कान्ती देवी परीक्षित हुई है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि आज से लगभग 9 वर्ष पहले मै शौच किया के लिए 2 बजे दिन मे जा रही थी।मुझे गांव के अमर सिह ने बुरी नियत से हाथ पकड कर नही खीचा था न ही धारदार हथियार से मारा था न ही इनके मारने से मेरा पैर टूटा था न ही गाली गलौज की थी न ही जान से मारने की धमकी दी थी। न ही पुलिस ने इस संबंध मे मेरा बयान लिया था। मुझे जो चोटे आयी थी वह गिरने की बजह से आयी थी। जिनकी मैने डाक्टरी सरकारी अस्पताल मे करायी थी। इस स्तर पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

दौरान जिरह उक्त गवाह उक्त गवाह को धारा 161 सी आर पी सी का बयान पढकर सुनाया व समझाया गया। गवाह ने इंकार किया और कहा कैसे लिख लिया मै इसकी बजह नही बता सकता। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी जिरह मे ऐसी कोई बात नही कही जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि हो सकें।

अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,325,354,504,506 भा द सं युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित नही कर पाया परिणामस्वरूप अभियुक्त दोष मुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अमर सिह के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 42/2008 धारा 323,325,354,504,506 भा0द0सं0 थाना राजपुर, कानपुर देहात के आरोप से दोष मुक्त किये जाते है। अभियुक्त जमानत पर है उसके जमानतनामे व बन्धपत्र निरस्त

तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्व से उन्मोचित किये जाते है। अभियुक्त एक सप्ताह के अंदर धारा 437(क) द प्र सं के अधीन बीस बीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक 31.10.2017

(देवेन्द्र कुमार,द्वितीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर,
कानपुर देहात।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक 31.10.2017

(देवेन्द्र कुमार,द्वितीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर,
कानपुर देहात।